दिनांकः 14.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी से पैसे निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 03 सदस्य अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12000/- रुपये नकद, 03 ATM कार्ड (अलग अलग बैंक के), 02 प्लास्टिक की छोटी एलफी की डिब्बी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 17.01.2025 को वादी श्री सागर पुत्र सत्यपाल निवासी कोरी माजरा थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा एक तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का एटीएम कार्ड बदलकर 68,000/- रुपये निकाल लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 25/2025 धारा 303(2) बीएनएस व दिनाँक 30.03.2025 को वादी श्री शुभम कुमार पुत्र धीरज सिंह निवासी ग्राम कृष्णी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया के साथ धोखधडी कर एटीएम कार्ड चोरी करके 75000/- रुपये निकाल लेने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 142/2025 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस मे पंजीकृत किये गये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व आपराधिक घटनाओं के खुलासे हेतु लगातार अभियान चलाया जा रह है इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक आज दिनांक 14.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमों प्रभावी कार्यवाही करते हुए एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी से पैसे निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 03 सदस्य **अभियुक्तगण 1.अनिल पुत्र खजान सिहं निवासी मढाके थाना सहपऊ हाथरस हाल पता भराई वाला मन्दिर सूरजपुर गौतमबुध्द नगर**, **2. आबिद उर्फ मिन्टू उर्फ कर्नल पुत्र ताहिर निवासी सोनापुर थाना डमढ़ा जिला पुर्निया (बिहार) हाल पता किराये का मकान चौहान का सोम बाजार सेक्टर-44 थाना-39 जनपद गौतम बुध्द नगर** व **3. पिंकी पुत्र जतीजी निवासी ग्राम मेढू थाना हाथरस जंकशन जनपद हाथरस हाल पता किराये का मकान सूरजपुर थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुध्द नगर** को चैकिंग के दौरान छोटी लाइन चोकी क्षैत्र खलासी लाईन के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 03 ATM कार्ड (अलग-अलग बैंक के), 02 प्लास्टिक की डिब्बी एलफी की, 7800/- रुपये नकद (सम्बंधित मु०अ०सं० 142/2025 धारा 318(4),303(2) बीएनएस) व 4200/- रुपये नकद व घटना मे प्रयोग की गयी मोटरसाइकिल TVS RAIDER रंग लाल नंबर UP 86 AN 1296 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 142/2025 धारा 318(4)/303(2) बीएनएस व मु०अ०सं० 25/2025 धारा 303(2) बीएनएस) में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317 (2) BNS की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर पकडे गये अभियुक्तगण से सख्ती से पूछताछ की गयी तो उन्होनें एक राय होकर बताया हम तीनों लोग मिलकर भोले भाले लोगो को गुमराह करते है तथा एटीएम मशीन के कार्ड स्लोट पर एलफी लगा देते है जिससे की एटीएम कार्ड फंस जाता है तथा हममे से एक व्यक्ति एटीएम पिन देख लेता है एवं एटीएम मशीन के उपर एक मोबाइल न0 लिखकर स्लिप चिपका देते है जिस पर लिखते है कि यह कस्टमर केयर

का नम्बर है, कोई भी असुविधा होने पर इस नम्बर पर सम्पर्क करें। जब पीडित व्यक्ति दिये गये मोबाइल नम्बर पर बात करता है तो हममे से एक व्यक्ति उसे एटीएम से दूर किसी स्थान पर बुला लेता है। तभी हम एटीएम मशीन से पैसे चुरा लेते है। यदि एटीएम की कैश लिमिट पूरी हो जाती है तो किसी सुनार की दुकान पर कार्ड स्वाइप कराकर खाते मे बचे रूपयो का सोना खरीद लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

1. अनिल पुत्र खजान सिहं निवासी मढाके थाना सहपऊ हाथरस हालपता भराई वाला मन्दिर सूरजपुर गौतमबुध्दनगर
2. आबिद उर्फ मिन्टू उर्फ कर्नल पुत्र ताहिर निवासी सोनापुर थाना डमढ़ा जिला पुर्निया (बिहार) हाल पता किराये का मकान चौहान का सोम बाजार सेक्टर-44 थाना-39 जनपद गौतम बुध्द नगर
3. पिंकी पुत्र जतीजी निवासी ग्राम मेढू थाना हाथरस जंकशन जनपद हाथरस हाल पता किराये का मकान सूरजपुर थाना सूरजपुर जनपद गौतम बुध्द नगर

बरामदगी का विवरणः-

- 03 ATM कार्ड (अलग अलग बैंक के),
- 02 प्लास्टिक की छोटी डिब्बी एलफी की
- 12000/- रुपये नगद
- 01 मोटरसाइकिल (घटनाओं में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री रणवीर सिहं थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. है0का0 660 कपिल कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
6. है0का0 67 कुलदेव थाना सदर बाजार सहारनपुर।
7. का0 2064 रूचिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
8. का0 947 शांतनु थाना सदर बाजार सहारनपुर।
9. का0 215 सुमित थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांक- 14.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 08 वर्षीय बच्चे की हत्या की घटना का खुलासा करते हुए 02 हत्यारोपी अभियुक्तगण गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरणः- अवगत कराना है कि दिनांक 11.05.2025 वादिया श्रीमती नगमा पत्नी दिलशाद निवासी मोहल्ला कोठीवाला कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 10.05.2025 को सुबह करीब 11.00 बजे वादिया का 8 वर्षीय पुत्र घर से बाजार की तरफ खेलने गया था देर शाम तक घर वापस न आने, रिश्तेदारी में जानकारी करने पर भी गुमशुदा की कोई जानकारी न मिलने की सूचना के आधार पुर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 100/2025 धारा 137(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। सूचना पर तत्काल टीमे गठित कर गुमशुदा की तलाश की जा रही थी तथा दिनांक 12.05.2025 को थाना क्षेत्र बेहट से गुमशुदा बच्चे का शव मिलने पर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में हत्या की पुष्टि हुई तत्पश्चात रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(1)/103(1)/238(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर गुमशुदा बच्चे की शीघ्र बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक चिलकाना श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 8 वर्षीय बच्चे की हत्या की घटना का खुलासा करते हुए **02 हत्यारोपी अभियुक्तगण 1. मुस्तफा उर्फ कोबरा पुत्र इकराम उर्फ कालू निवासी मौ0 जाकिर हुसैन कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को धौलाहेडी के पुल के पास से तथा **अभियुक्ता 2.जरीना पत्नी इकराम उर्फ कालू निवासी मौ0 जाकिर हुसैन कस्वा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को ग्राम दुमझेडा की तरफ कच्चे पक्के रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त मुस्तफा ने पूछताछ पर बताया कि करीब 5-6 महीने पहले मेरे भाई उवैश ने युनुस (मामा) निवासी सलेमपुर गदा में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी जिसकी सूचना हमे नगमा के परिजनो ने ही दी थी और उसके क्रियाक्रम में भी नही आये थे करीब डेढ वर्ष पहले मेरे पिता इकराम उर्फ कालू रात्रि में इनके घर चले गये थे। जिसमे मौहल्ले मे काफी बदनामी हुई थी तथा नगमा के परिवार वालो ने हमारे साथ लडाई झगडा मारपीट की थी। तभी से मै व मेरी माँ उस बदनामी का बदला लेने के लिए सोच रहे थे। उस बात को काफी दिन हो गये थे दिनांक 10.05.2025 को मुझे पता चला कि नगमा अपने देवर को साथ लेकर लक्सर रिश्तेदारी में मैय्यत में गयी है। घर पर उसके मां बाप नही थे। मैने व मेरी माँ ने योजना के तहत मौका पाकर जब सरफराज घर के बाहर खेल रहा था तो मोबाइल दिखाने के बाहने सरफराज को अपने घर के अन्दर ले गया मेरी माँ गेट पर निगरानी करने लगी और सरफराज अन्दर बैड पर बैठकर मोबाइल देख रहा था तो मैने पीछे से एक सफेद साफे से उसका गला घोट दिया और बाद में तकिये से मुह दबा दिया फिर प्लास्टिक की बोरी में सरफराज का शव उसमें डालकर एक बडे बैग में ऱखकर अपने टैम्पो में रखकर हम दोनो माँ बेटा अपने मामा के यहा सलेमपुर

गदा के पास सरफराज का शव व प्लास्टिक की बोरी रजवाहे मे डाल आये। जिससे किसी शक ना हो तो कुछ देर मामा के यहा रुककर घर वापस आ गये बैग को सर्फ से मशीन मे धो दिया तथा सरफराज की चप्पल व साफा मैने व मेरी माँ ने चुल्हे में जला दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. मुस्तफा उर्फ कोबरा पुत्र इकराम उर्फ कालू निवासी मौहल्ला जाकिर हुसैन कस्बा/थाना चिलकाना, सहारनपुर
2. जरीना पत्नी इकराम उर्फ कालू निवासी मौहल्ला जाकिर हुसैन कस्वा व थाना चिलकाना, सहारनपुर

घटना में प्रयुक्त फोरेंसिक टीम द्वारा अभि0 मुस्तफा उर्फ कोबरा की निशादेही पर बरामदगी -

05 पुलिन्दे माल महमूला

- 01 पुलिन्दे मे एक अदद बैग बारंग स्लेटी काली पट्टी का LENOVO मार्का ,
- 02 पुलिन्दे मे दो अदद तकियो के कवर लाल रंग ,
- 03 पुलिन्दे मे चूल्हे की राख व मृतक सरफराज की जली हुई चप्पलो की रबडनुमा पदार्थ,
- 04 पुलिन्दे मे अभियुक्त मुस्तफा उर्फ कोबरा उपरोक्त की गिरफ्तारी व घटना मे प्रयुक्त टैम्पू की बरामदगी की वीडियो सीडी
- 05 पुलिन्दे मे अभियुक्त मुस्तफा उर्फ कोबरा की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त बैग व तकिये तथा साक्ष्य मिटाने हेतु चूल्हे की राख व मृतक सरफराज की जली हुई चप्पलो की रबडनुमा पदार्थ की बरामदगी की वीडियो सीडी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री श्याम सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. म0उ0नि0 सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. है0का0 378 तरुण कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
6. है0का0 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
7. का0 1759 सावन कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
8. का0 2208 रोहित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 14.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैंकिग व गस्त के दौरान 02 वारण्टी **अभियुकतगण 1.सन्नी पुत्र मेमचन्द निवासी ग्राम देवला थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर व 2.संदीप पुत्र गोपाल निवासी ग्राम देवला थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बंधित वाद स0 449/2024 मु0अ0स0 180/23 धारा 452/323/504/506/336 भादवि थाना कोत0देहात में ग्राम देवला से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. सन्नी पुत्र मेमचन्द निवासी ग्राम देवला थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
2. संदीप पुत्र गोपाल निवासी ग्राम देवला थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुदेशपाल थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 14.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा गौवध जैसे गम्भीर अपराध में अपने विपक्षियों को फंसाने के लिये झूठे साक्ष्य गढने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2025 को वादी अरशद पुत्र इस्लाम निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1- मुर्शीद पुत्र इश्त्याक, 2-खुर्शीद पुत्र इश्त्याक व 3-इन्तजार पुत्र इश्त्याक निवासीगण मौहल्ला नदीम कालोनी निकट हिना मस्जिद थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर हालपता मौहल्ला दरबारा शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर द्वारा वादी को गौवध जैसे गम्भीर अपराध में फंसाने के लिये झूठा साक्ष्य गढने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 157/25 धारा 308(5)/352/351(3)/61(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त मुर्शीद पुत्र इश्त्याक निवासी मौहल्ला नदीम कालोनी, निकट हिना मस्जिद, थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर हाल निवासी मौहल्ला दरबारा शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को न्यू मौहल्ला दरबारा शेखपुरा कदीम से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त मुर्शीद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने अपने मोबाइल से अरशद के मोबाइल न0 7037746806 पर कॉल की थी लेकिन उस नम्बर पर बात नहीं हो रही थी अरशद ने अपने दोस्त आमिर के मो0न0 8791901803 से मुझे मिसकाल की तब मैने अपने मोबाईल से अरशद के दोस्त आमिर के मो0न0 8791901803 पर जो बात की वह मुझे भी मालूम है कि मैने एक गाय का बछड़ा अरशद से मुझे दिलाने के लिए कहा था उसके लिए मैने 10 हजार रूपये भी अरशद को देने के लिए कहे थे और मेरा मकशद था कि मैं भी मरे हुए जानवरों का खाल उतारने का काम करता हूँ और कमेला कालोनी में सनव्वर भी यही काम करता है। अगर मैं गाय का बछड़ा काटकर सनब्बर के गोदाम में डाल देता तो सनब्बर 10 साल को अंदर जाता तथा चौकी निर्यान निगम के दरोगा अश्वनी कुमार जिसने मेरे दामाद को जिसपर चोरी की मोटर साईकिल मिली थी, को जेल भेजा था वह भी सस्पेंड हो जाता और उसकी वर्दी उतर जाती। इस तरह से मेरे एक तीर से दो निशाने पूरे हो जाते। जब अरशद ने ये ऑडियो रिकार्डिंग चौकी इंचार्ज निर्यात निगम अश्वनी कुमार को सुना दी तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपने दोनो भाईयों को लेकर अरशद के घर उससे बात करने गया था वहां पर हम लोगों का वाद-विवाद हुआ था

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुर्शीद पुत्र इश्त्याक निवासी मौहल्ला नदीम कालोनी, निकट हिना मस्जिद, थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर हाल निवासी मौहल्ला दरबारा शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

अभियुक्त मुर्शीद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 138/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

2. मु0अ0सं0 343/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 52/20 धारा 10 उ0प्र0 गुंडागर्दी अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 135/2020 धारा 307 भा0द0वि0 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 5/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 139/20 धारा 10 उ0प्र0 गुंडागर्दी अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 308/24 धारा 3/11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 एवं 271/325 बीएनएस थाना कुतुबशेर, स0पुर
8. मु0अ0सं0157/2025 धारा 308(5)/352/351(3)/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक श्री मुमताज खान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 906 विपिन राठी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 436 दीपक नागर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक – 14.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 14.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त मुकर्रम पुत्र मौ0 इकराम निवासी मौहल्ला तेलीपुरा कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 5424/24 व मु0अ0सं0 371/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर) में मौहल्ला तेलीपुरी कस्बा रामपुर मनिहारान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुकर्रम पुत्र मौ0 इकराम निवासी मौहल्ला तेलीपुरा कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. कां0 2250 ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4. हो0गा0 1530 संजय राणा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

दिनांक: 14.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मदाक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 220 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 14.05.2025 को चैकिंग/गस्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त उस्मान उर्फ मानी पुत्र नानू निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर हाल निवासी ग्राम बुड्ढा खेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को मेघछप्पर शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के **कब्जे से 220 ग्राम चरस** बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 137/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं अवैध चरस की खरीद फरोख्त का धंधा करता हूँ। कुतुबशेर थाना क्षेत्र और जनपद सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रो मे तथा ट्रक ड्राईवर/होटल ढाबो व गाँव मे पीने वाले व्यक्तियो को अच्छे दामो मे बेचता हूँ। जिससे मेरी अच्छी मोटी कमाई हो जाती है। चरस बेचकर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ और अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करके भारी मात्रा मे चरस की खरीद फरोख्त करता हूँ। आज भी मै यह चरस एक व्यक्ति से खरीद कर लाया था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

उस्मान उर्फ मानी पुत्र नानू निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर हाल निवासी ग्राम बुड्ढा खेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 220 ग्राम अवैध चरस

आपराधिक इतिहास अभि0 उस्मान उर्फ मानी-

1. मु0अ0सं0 88/25 धारा 3/4/25 आयुद्ध अधि0 व 109 बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 121/20 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर,
3. मु0अ0सं0 123/20 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर,
4. मु0अ0सं0 147/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर,
5. मु0अ0सं0 330/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर,
6. मु0अ0सं0 420/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर,
7. मु0अ0सं0 421/21 धारा 10 गुंडा अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर,
8. मु0अ0सं0 511/2019 धारा 5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर,
9. मु0अ0सं0 111/20 धारा 188 भादवि थाना कोतवाली मंडी जनपद सहारनपुर,

10. मु0अ0सं0 333/19 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 854 अमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 14-05-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा 08 वर्षीय नाबालिग की हत्या के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 05.04.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.नाजिम पुत्र फरमान निवासी नौजली थाना नांगल जिला सहारनपुर 2. फरमान पुत्र इशहाक 3.कामिल पुत्र निसार 4.अमजद पुत्र निसार 5. जुनैद पुत्र शहजाद उर्फ भूरा निवासीगण नौजली थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा जान से मारने की नियत से सिर पर वार कर घायल कर देने जिससे सिर में गम्भीर चोट आने एवं गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे विरुद्ध थाना नागल पर मु0अ0सं0 99/2025 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/352 /351(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 6.शोयब पुत्र शमीम 7.अनस पुत्र कुर्बान 8.नफीस पुत्र भूरा निवासीगण ग्राम नौजली थाना नागल जिला सहारनपुर का नाम प्रकाश मे आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व मुखबिर की सूचना पर थाना नागल पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 14.05.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वाँछित/**प्रकाश में आये अभियुक्त शोयब पुत्र शमीम उर्फ बाबू निवासी दनियालपुर उर्फ नौजली थाना नांगल जिला सहारनपुर** को बड़ूली तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। दौराने उपचार मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मजरूबा की मृत्यू हो जाने के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः-पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरा वादी पक्ष के लोगों से किसी बात को लेकर झगडा हो गया था। झगडे मे वादी पक्ष की लडकी बीच मे आ गयी थी। जिससे उसके सिर मे चोट लग गयी थी। बाद में उपचार के दौरान उसकी मृत्यू हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.शोयब पुत्र शमीम उर्फ बाबू निवासी दनियालपुर उर्फ नौजली थाना नांगल जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. है0का0 757 सन्नी थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 596 रविन्द्र कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर

दिनांक: 14.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13/14.05.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तगण **1.रविन्द्र कुमार पुत्र ज्योति राम निवासी ग्राम गदेवड़ा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 1206/2023 धारा 138 एनआई एक्ट में **2.कुलदीप पुत्र गोपाल निवासी ग्राम चमारीखेड़ा थाना फतेहपुर सहारनपुर** व **3.सलमान पुत्र इनाम निवासी ग्राम गदेवड़ा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 1324/2025 व मु0अ0सं0 149/2019 धारा 307 भा0द0वि0 में थाना क्षेत्र फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

1. रविन्द्र कुमार पुत्र ज्योति राम निवासी ग्राम गंदेवड़ा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. कुलदीप पुत्र गोपाल निवासी ग्राम चमारीखेड़ा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. सलमान पुत्र इनाम निवासी ग्राम गंदेवड़ा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांक: 14.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा शराब ठेके के सेल्समैन के साथ मारपीट की घटना में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2025 को वादी श्री अंकित कुमार पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बेहड़ा कला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.गुलाब पुत्र अशोक कुमार, 2.पिंकू पुत्र खड़क सिंह व 3.अमुल पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम रामखेड़ी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा ग्राम बेहड़ा संदल सिंह में देशी शराब ठेका के सेल्समैन से कम रेट मे शराब मांगने को लेकर अभियुक्तगण द्वारा सेल्समैन के साथ ठेके मे अन्दर घुसकर जान से मारने की नियत से सिर पर कुल्हाड़ी व डण्डो से मारपीट करने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 91/2025 धारा 115(2)/352/351(2)/333/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में सेल्समैन के साथ मारपीट करने के मामलें में 01 वांछित **अभियुक्त गुलाब पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम रामखेड़ी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को ग्राम रामखेड़ी से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त गुलाब उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं व मेरा साथी पिंकू व अमूल आपस में दोस्त है तथा दिनांक 12.05.2025 की शाम को हम लोग बैठकर शराब पी रहे थे कि तभी शराब खत्म हो गयी। हम तीनो शराब लेने के लिये बहेड़ा सन्दल सिंह मे ठेके पर गये और अपने ब्रान्ड की शराब मांगी तो सेल्समैन ने मना कर दिया कि यह ब्रान्ड नही है तो हमारी कहा सुनी सेल्समैन के साथ हो गयी और वहां से चले गये। फिर बाद में करीब 9 बजे हम तीनो ने शराब के नशे में ठेके में घुसकर सेल्समैन के साथ मारपीट कर दी और धमकी देकर वहां से भाग गये और डन्डे हमने शराब के नशे में कहां फेंक दिये ये हमे नही पता।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गुलाब पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम रामखेड़ी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहानरपुर
3. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 14-05-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा आनलाइन साईबर फ्राड़ के माध्यम से ठगी गयी कुल 6,000/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 14.04.2025 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी ग्राम पोस्ट डूमरी थाना फेंफना जिला बलिया हाल निवासी कोलकी टोल प्लाजा थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा साईबर ठगी के माध्यम से कुल 6000/- रूपये की धोखाधडी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में आवेदक की शिकायत आनलाईन साईबर पार्टल पर थाना गागलहेडी पर शिकायत सं0 33104250044759 पंजीकृत की करायी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व धोखाधडी कर ठगी की गयी धनराशि को पीडितो के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी श्री सुरेश कुमार के नेतृत्व मे थाना गागलहेड़ी साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा आनलाईन शिकायत उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वादी की गई कुल 6,000/- रूपये की धनराशि खाते में फ्रीज करायी गयी थी तथा आज दिनांक 14.05.2025 को साइबर हैल्प डैस्क टीम थाना गागलहेड़ी द्वारा विधिक कार्यवाही के उपरान्त वादी मनोज कुमार के खाते में कुल 6,000/- रूपये की शत प्रतिशत धनराशि वापस करायी गयी। पीडित के परिजन द्वारा थाना गागलहेड़ी साईबर हैल्प डेस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हैल्प डैस्क टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. कम्प्यूटर आपरेटर सन्नी सोम थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
3. का0 1679 नवीन राठी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
4. का0 577 मोहित गर्ग थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।